



स्कूल प्रबंधन समिति (एस.एम.सी)



शिक्षा अधिकार अधिनियम (धारा 21) के अनुसार स्कूल प्रबंधन समिति को:

- हर स्कूल में गठित होना है, जिसके 75% सदस्य बच्चों के माता-पिता और अभिभावक होंगे।
- महीने में कम से कम एक बार बैठक हो। बैठकों की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और जनता के लिए उपलब्ध करायी जानी चाहिए।
- बच्चों के अधिकारों के बारे में शरल और स्वनात्मक तरीकों से शंवाद करना चाहिए।
- निगरानी करनी चाहिए कि अध्यापकों पर गैर-शैक्षणिक गतिविधियों का बोझ न पड़े।
- सभी बच्चों का नामांकन और निरंतर उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए।
- विकलांग बच्चों के लिए नामांकन और सुविधाओं की निगरानी करनी चाहिए।

